

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान
राजस्थान, जयपुर
नर्सिंग ऑफिसर/फार्मासिस्ट भर्ती 2022
विस्तृत विज्ञापित

कमांक-F-100(33)/SIHF W/Recruit-NHM/Pharmacists/2022/7371

दिनांक: 16.11.2022

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान के लिये राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (सीपी), जयपुर द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु नर्सिंग ऑफिसर के 12/40 पदों एवं 39 सहरीया डीकलींग पदों एवं फार्मासिस्ट के अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिये 2020 पदों (1927 + 03 डीकलींग) पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1985 (एम्मा संशोधित) में उल्लेखित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। यह पद स्थाई है, जिसका संख्या विवरण निम्नानुसार है (विज्ञापित पदों की संख्या में कमी/दुबि की जा सकती है) :-

Name of Post	No. of Post(s)	(UR)				SC				ST				O.B.C.				M.B.C.				E.W.S.				Horizontal Reservation				Sakshya			
		अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र		
18	1230	228	182	36	09	99	79	16	03	34	60	12	02	130	104	20	06	31	25	05	01	02	50	19	02	50	156	23	3	2	-	-	
64	346	408	128	50	12	194	55	22	05	145	41	16	00	225	72	29	07	61	18	06	01	127	36	13	03	79	217	34	5	2	-	-	
19	18	64	19	01	01	01	02	-	-	57	17	06	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	08	22	03	-	-	-	-

नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु जांचा जाये की सहरीया व्यक्तिग जाति वर्ग को 39 डीकलींग पदों का विवरण

सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	विधिवान विवाह
20	16	03	-

फार्मासिस्ट पद हेतु डीकलींग को 03 पदों का विवरण

क्षेत्र	वर्ग	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	विधिवान विवाह
गैर अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित जनजाति	34	11	03	-
	सहरीया	01	-	-	-
अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित जाति	02	-	-	-
	अनुसूचित जनजाति	30	00	03	-

- करने का अधिकार नहीं होगा, अर्थात् यह विशेष (जनरल वर्ग/कॉमर्सिएट) के कार्य के लिये निर्धारित दिव्यांगता की श्रेणी में सम्मिलित नहीं हो सकने पर सामान्य अभ्यर्थियों की तरह अन्य श्रेणियों में आवेदन नहीं कर सकेंगे।
10. विशेष योग्यजन की सूची को मेरिट सूची बनाकर सम्मिलित अभ्यर्थियों को उनकी गृह जाति वर्ग के लिये आरक्षित पदों के विरुद्ध नामित माना जावेगा।
 11. विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को इस विधिति के अन्तर्ग में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के सामक्ष जाँच हेतु प्रस्तुत होना होगा। विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की राय/प्रमाण पत्र के आधार पर ही विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का निर्धारण किया जाकर आरक्षण का लाभ/पात्रता का अंतिम रूप से निर्धारण किया जावेगा।
 12. उत्कृष्ट शिक्षाद्वियों का आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.531/DOP/A-1/54 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार कुल शिक्षाई का 2 प्रतिशत सम्भवतः रूप से Horizontal देय होगा। अर्थात् आवेदक जिस वर्ग का होगा उसकी पैरुक वर्ग में ही सम्मिलित किया जावेगा।
 13. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिक एवं उत्कृष्ट शिक्षाई हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के भूत निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उपरोक्त श्रेणियों में किसी प्रकार का आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
 14. राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपतन्त राजस्थान राज्य की भूत निवासी न- जाती है तो उसे public employment में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा इसलिए उन्हें अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
 15. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग (निम्नश्रीमश्रेण), अति पिछड़ा वर्ग (निम्नश्रीमश्रेण), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु मात्र एवं उपयुक्त आधारी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को निम्नानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जावेगा।
 16. आवेदक को भारत का नागरिक होना अथवा भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा इस हेतु प्रदत्त पात्रता का प्रमाण पत्र जारी होना आवश्यक है।

क) 1- नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता

- I. Senior Secondary or its equivalent.
- II. GNM Course or its equivalent qualification from an institute recognized by the State Government.
- III. Registered in Rajasthan Nursing Council.

अधिमार्ग योग्यता:- वेदनामरी लिपि में हिन्दी भाषा का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।
नोट:- बिन्दु संख्या I के लिये सामान्य शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के अनुसार पाठ्यक्रम होनी चाहिए।
बिन्दु संख्या II के लिये राजस्थान नर्सिंग कॉलेज, जयपुर द्वारा जीएनएन/बी.एससी. नर्सिंग कोर्स कोर्स में पंजीयन करना आवश्यक अनिवार्य है। पंजीयन के अन्तर्ग में पंजीयन संबंधी अन्य कोई दस्तावेज मांग नहीं होगा। अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक राजस्थान नर्सिंग कॉलेज में पंजीयन होना अनिवार्य है। जीएनएन अथवा बी.एससी. नर्सिंग कोर्स दोनों व्यावसायिक योग्यता होने की स्थिति में आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई योग्यता में प्राप्ता अंकों के आधार पर परीक्षा सूची तैयार की जावेगी। अतः दोनों व्यावसायिक योग्यता होने की स्थिति में आवेदक किसी एक कोर्स का ही विवरण ऑनलाइन आवेदन में करे।
उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी के लिये राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनियम सेवा नियम 1985 (यथा संशोधित) में सम्मिलित समस्त अन्य योग्यताएँ पूर्ण करना अनिवार्य है। वह आवेदित पद के लिये इन नियमों के तहत नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं होना चाहिये।

2- फार्मासिएट पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता

- I. Diploma in Pharmacy; and
- II. Registered as pharmacist in Rajasthan Pharmacy Council.

अधिमार्ग योग्यता:- वेदनामरी लिपि में हिन्दी भाषा का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।
नोट:- बिन्दु संख्या II के लिये राजस्थान फार्मासी कॉलेज, जयपुर द्वारा जी.फार्म/बी.फार्म कोर्स हेतु जारी पंजीयन क्रमांक लिखना अनिवार्य है। पंजीयन के अन्तर्ग में पंजीयन संबंधी अन्य कोई दस्तावेज मांग नहीं होगा। अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक राजस्थान फार्मासी कॉलेज में पंजीयन होना अनिवार्य है। जी.फार्म अथवा बी.फार्म कोर्स दोनों व्यावसायिक योग्यता होने की स्थिति में आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई योग्यता में प्राप्ता अंकों के आधार पर परीक्षा सूची तैयार की जावेगी। अतः दोनों व्यावसायिक योग्यता होने की स्थिति में आवेदक किसी एक कोर्स का ही विवरण ऑनलाइन आवेदन में करे।
उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी के लिये राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनियम सेवा नियम 1985 (यथा संशोधित) में सम्मिलित समस्त अन्य योग्यताएँ पूर्ण करना अनिवार्य है। वह आवेदित पद के लिये इन नियमों के तहत नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं होना चाहिये।

क) वीमा, वे-गैटिवस लेवल

नॉर्मल अक्टिविटी पर हेतु- वे-गैटिवस लेवल L-11

कम-नॉर्मल पर हेतु- वे-गैटिवस लेवल L-10

नोट :-

1. सीवी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त ग्लोबलाइजेशन प्रशिक्षु (Globalization Trainee) को परीक्षा की अवधि के दौरान नॉर्मल नियत पारिवर्तिका ऐसी वर्ग पर रखाया किया जाएगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जावे।

2. सीवी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों की नियुक्ति दो वर्ग की परीक्षा अवधि के सिवे की जायेगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन भुंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वर्ग पर पारिवर्तिका (Fixed Allowance) देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते तथा भवना किताब भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी अतिपुर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। परीक्षा अवधि में अन्य सुविधाएं एवं अनुकाश आदि राजस्वधान सेवा नियमों में निर्हित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परीक्षा अवधि संतोषप्रद पूर्ण करने पर पद की वेतन भुंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे व स्थायीकरण का पात्र होगा।

ग) आयु सीमा

आयु के संबंध में राजस्वधान विधित्व एवं स्वायत्त अधीनस्थ सेवा नियम 1986 (एनए संशोधित) के नियम 10 के प्रावधान लागू होंगे-

1. आयु की गणना 01.01.2023 को आधार मानकर की जायेगी।
2. अभ्यर्थी जन्मतिलि हेतु रीकॉर्डरी की अंकाशिका की प्राप्ति एवं अंकाशिका में जन्मतिलि अंकित न होने पर रीकॉर्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र (Certificate, जिससे जन्मतिलि प्रमाणित होती हो, अपलोड करें।
3. दिनांक 01.01.2023 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होगी चाहिये।
4. जैनिक विभाग की अधिवृत्ता दिनांक 23.9.2022 "The person who was within the age limit on 31.12.2020 shall be deemed to be within the age limit upto 31.12.2024" के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट देय होगी।

विज्ञापित पदों के अनुसार दर्शाई गई वर्गवार स्थितियों के अनुसार विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के प्रावधान

क्र. सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियां	अधिकतम आयु सीमा में देय छूट
1	राजस्वधान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा वर्ग, अति विधवा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी	5 वर्ष
2	सामान्य वर्ग की महिला	5 वर्ष
3	राजस्वधान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा वर्ग, अति विधवा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी	10 वर्ष
4	किटा एवं विशिष्ट विधवा	अधिकतम आयु सीमा नहीं

5	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आगेलन) नियम, 1985 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को उम्ररी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु इन नियमों के अधीन सिविलीकरण के परमाणु यदि अनुसूच्य आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो उम्ररी आयु सीमा 60 वर्ष लागू होगी किन्तु सीमा बर्ती की वृत्ति में जहाँ भिन्नतर यह का अनुमति अनिवार्य है वहाँ 65 वर्ष की अधिकतम उम्ररी आयु सीमा लागू होगी। स्पष्टीकरण— कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.9.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आगेलन) नियम, 1985 (ज्या संशोधित) के प्रावधानों के होते हुए भी किसी भी से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो सिविलता अन्य लोक सेवाओं/अध्यक्षियों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिक को भी देय होगी अर्थात् आयु संबंधी सिविलता के संबंध में दोनों नियमों में जो भी हितकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा।
6	राजस्थान विद्यालयन अधिकार नियम, 2015 के अनुसार विशेष योग्यजन अध्यक्षियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी।
7	राजस्थान सिविलता एवं राज्यीय अतिरिक्त सेवा नियम 1985 (ज्या संशोधित) के नियम 10 के अनुसार पात्र अध्यक्षियों को इस विज्ञापित पद पर उनके कार्यभार आदि की सीमा तक, अधिकतम 5 वर्ष की आयु सीमा में सिविलता प्रदान की जायेगी।

नोट :-

1. उपर्युक्त वर्णित क्र.सं. 1-6 आयु सीमा में छूट के प्रावधान असांचयी (Non-Cumulative) है, अर्थात् अध्यक्षियों को उपर्युक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर भूट का लाभ नहीं दिया जायेगा। किन्तु संख्या 7 के तहत देय छूट एकल प्रावधानों के अतिरिक्त देय होगी।
2. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 28.07.2017 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व क्षणवत् (Horizontal) आवाहन के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आवेदनित पदों हेतु यदि किसी अध्यक्षी द्वारा मुख्य के अतिरिक्त एकको देय किसी अन्य विद्यालय (जैसे - आयुसीमा, अंक, सिविलता किलोमीटर आदि) का लाभ दिया जाता है तो उसे अनारक्षित श्रेणियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।
3. विगत तीन वर्षों में जहाँ पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापित जारी नहीं किये जाने के कारण जो अध्यक्षी दिनांक 01.01.2023 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी।
4. राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कार्यकारी हेतु सेवाभिरुति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए निर्धारित दिनांक तक अध्यक्षी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5. उपर्युक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधानों के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश प्रभावी होंगे।

घ) अन्य विवरण

चयन प्रक्रिया	अध्यक्षियों का चयन नियमों में क्या विनिर्दिष्ट निर्धारित सैलनिक परीक्षा एवं व्यावसायिक परीक्षा में प्राप्त अंकों और अनुभव आधारित देय दोनों, यदि देय हो, जोड़कर वरीयता के आधार पर किया जायेगा। नोट :- आवेदकों द्वारा ऑनलाइन भरे गये डेटा की प्रभावता जाँचने की जायेगी जिसमें कुछीयन अथवा अपूर्ण या गलतियाँ पाये गये अथवा किसी अन्य कारण से निरस्त किये जाने योग्य आवेदनों को रद्द कर सेष आवेदनों से मेरिट तैयार की जायेगी। मेरिट में आवेदित श्रेणी अनुसार उच्च स्थान प्राप्त लगभग के 5 गुना (निर्धारित पदों का) अध्यक्षियों को दस्तावेज
---------------	--

सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जावेगा जिसके दिनांक, समय व स्थान की सूचना अन्यविधियों को पृथक् से अन्यविधियों द्वारा आवेदन करने में दिये गये मोबाईल नं. पर एस.एम.एस. अथवा ई-मेल अथवा दोनों माध्यम से दी जावेगी। अन्यविधियों को ऑनलाइन आवेदन में आवेदन एवं अपलोड किए गए अपने सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय व दिनांक को सीक्रेट्रियट द्वारा तय किए गए अन्य निर्धारित स्थान पर दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना होगा। दस्तावेज सत्यापन में स्वीकार्य दस्तावेजों के आधार पर योग्य पाये गये अन्यविधियों के प्राप्तावधि से उपरोक्तानुसार प्रोविजनल मेरिट तैयार की जावेगी। प्रोविजनल मेरिट पर प्राप्त आपत्तियों के नियमानुसार निस्तारण उपरान्त अंतिम वरीयता सूची जारी की जावेगी।

दस्तावेजों का सत्यापन:-

1. दस्तावेजों के सत्यापन हेतु आमंत्रित अन्यविधियों को सीक्रेट्रियट द्वारा आहूत करने पर निर्धारित तिथि व समय पर दस्तावेज सत्यापन स्थान पर व्यक्तिगत उपस्थित होना होगा। दस्तावेज सत्यापन हेतु आहूत अन्यविधियों को निर्धारित स्थान पर आवेदन पत्र, प्रमाण पत्र, रसीद की छाठखीनी भग याचित भूल दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अर्थात् अन्यविधियों द्वारा भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति, ऑनलाइन आवेदन के समय घोषित सम्बन्धित वैयक्तिक/व्यावसायिक योग्यता/आयु प्रमाणित प्रमाण पत्र, अन्य योग्यता के प्रमाण पत्र, जाति/वर्ग प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों आदि दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी। आवेदन में प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का मूल प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों से मिलान नहीं करना आवश्यक नहीं होने पर आवेदक को पात्रता स्वीकार नहीं की जावेगी। यदि आवेदक विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को सम्बन्धित दस्तावेजों सहित दस्तावेज सत्यापन हेतु व्यक्तिगत उपस्थित नहीं होता है तो आवेदक की पात्रता स्वीकार नहीं की जावेगी।

2. ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किये गये दस्तावेजों के अतिरिक्त कोई भी दस्तावेज किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं किया जावेगा।

3. आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में उपरोक्तित सूचना के आधार पर ही दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जावेगा जिसके सही नहीं पाये जाने पर आवेदक को पात्रता निरस्त कर दी जावेगी। ऑनलाइन आवेदन की साथ अपलोड किये गये दस्तावेज तथा त्रुटि संशोधन की अपेक्षा के अतिरिक्त कोई नया/संशोधित दस्तावेज किसी भी माध्यम द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा। अतः आवेदक आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्र/दस्तावेज अपलोड करते समय पूर्ण सावधानी बरते ताकि जगहों पात्रता प्रमाण पत्र/दस्तावेज का मिलान नहीं हो सकने के कारण से निरस्त न हो। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं पात्रता संबंधी जांच करवाने का सम्बन्ध उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा। ध्यान रहे कि दस्तावेजों के सत्यापन हेतु आमंत्रित किये जाने का अनिवार्य समय से नहीं है अतः आवेदित अन्यविधियों की पात्रता की जांच मात्र है।

4. कूटस्थित दस्तावेज प्रस्तुत करने, गलत सूचना देने पर, किसी प्रकार का अनुचित कृत्य करने पर आवेदक का आवेदन निरस्त करने के साथ दण्डिक कार्यवाही भी अमल में लायी जा सकेगी।

5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अन्यविधियों की कार्डिनल (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 7(1)कार्डिनल/क-2/2019 दिनांक 17.10.2022 के अनुसार निर्धारित प्रमाण पत्र एवं राश्व पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति होगी।

ऑनलाइन
आवेदन
अवधि

दिनांक 24.11.2022 को अपराह्न 4 बजे से दिनांक 23.12.2022 मध्यराति 12.00 बजे तक। इसके उपरान्त ऑनलाइन लिंक निष्क्रिय हो जावेगा।

ऑनलाइन आवेदन पुष्टि संशोधन अवधि	गद्यापि समस्त आवेदकों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय पूर्व सावधानी/अवधि निगरानी से समस्त सूचना अंकित की जायेगी तथा विज्ञापन में वर्णितानुसार समस्त प्रमाण पत्र/दस्तावेज अपलोड किए जायेंगे तथा आवेदकों के हित में उनको उक्त प्रक्रिया में सावधानी बरतने के बाद भी वह जगह वाली भुटिरो में संशोधन का अवसर देते हुए ऑनलाइन आवेदन अवधि समाप्त होने के पश्चात पुनः रिजल्ट जारी करके हुए सीधु की वेबसाइट www.sihfwrajasthan.com एवं निजिस्वा एन स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट www.rajswasthya.nic.in पर भी सूचना दी जायेगी। अवधि भुटि संशोधन करने हेतु निर्धारित शुल्क रु. 200/- का भुगतान करने के पश्चात ही भुटि संशोधन कर सकेंगे। यही यह स्पष्ट किया जाता है कि भुटि संशोधन का अवसर दिये जाने का अनिवार्य मूल ऑनलाइन आवेदन करते समय अंकन में भुटि संशोधन किए जाने एवं मूल ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम दिनांक तक आवेदक के पास उपलब्ध प्रमाण पत्र/दस्तावेज हो रचना पर भुटिवर किसी अन्य दस्तावेज/प्रमाण पत्र के अपलोड करने की शर्ति में मूल ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम दिनांक तक आवेदक के पास उपलब्ध प्रमाण पत्र/दस्तावेज को अपलोड करने का अवसर दिये जाने का है। भुटि संशोधन के दौरान किसी भी आवेदक को मूल ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने अथवा मूल आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक के पश्चात जारी किए गए प्रमाण पत्र अथवा अंतिम की गई किसी औपचारिक/व्यावसायिक योग्यता का अंकन भुटि संशोधन के दौरान किए जाने की अनुमति नहीं होगी। अनुभव प्रमाण पत्र के भुटि संशोधन की अवधि की शर्ति में भी मूल आवेदन पत्र भरने की तिथि प्रारम्भ होने से ठीक एक दिन पहले तक अंतिम किया गया अनुभव ही गणना हेतु मान्य होगा। अनुरोधित जाति, अनुरोधित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अर्थवर्गों को कर्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 7(1)कर्मिक/क-2/2019 दिनांक 17.10.2022 के अनुसार निर्धारित प्रमाण पत्र एवं सत्य पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति होगी।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया	- उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व अवधि द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों, संबंधित सेवा विधियों आदि का अध्ययन आवश्यक रूप से कर भली से आवेदन हेतु सावधानी सुनिश्चित करने के पश्चात ही ऑनलाइन आवेदन करें। - ऑनलाइन आवेदन करने के लिये अवधि को यह सत्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (सीएफ) की वेबसाइट www.sihfwrajasthan.com अथवा निजिस्वा एन स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट www.rajswasthya.nic.in पर दिये गये लिंक को प्रिंट करना होगा जिससे ऑनलाइन आवेदन पत्र शुरू जायेगा। जिसमें दिये गये दिशा-निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ने के पश्चात ही ऑनलाइन करने का भरे। - अवधि को ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्णतया भरने के पश्चात एवं आवेदन शुल्क का भुगतान करने पर आवेदन पत्र क्रमांक (Application I.D) जनरेट होगा, जिसे अपने पास सुरक्षित रखें एवं किसी से साझा (शेयर) न करें। - अवधि को आवेदन शुल्क सटित किसी भी प्रकार का शुल्क रिफंड नहीं किया जायेगा। - अवधि ऑनलाइन आवेदन करने तथा आवेदन शुल्क का भुगतान, ऑनलाइन आवेदन अवधि की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें। ऑनलाइन आवेदन पूर्णतया भरने/समस्त दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन शुल्क जमा होने के पश्चात ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाकर आवेदन क्रमांक जनरेट होगा उक्त प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने की शर्ति में आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना रद्दीकर नहीं किया जायेगा जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अवधि की होगी। अतः अवधि ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन की अंतिम तिथि तक इंतजार नहीं करें। - आवेदक को ऑनलाइन आवेदन हेतु भुगतान करने के पश्चात आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (Application I.D.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इंतजार करें यह है कि उसका ऑनलाइन आवेदन-पत्र/आवेदन शुल्क जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit करना नहीं माना जायेगा।

- आवेदक एक मोबाइल नं. से केवल एक आवेदन फार्म ही भर सकते हैं अर्थात् एक मोबाइल नं. से एक से अधिक आवेदन फार्म नहीं भरे जा सकते हैं।
- अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने हेतु केवल प्रथम बार आवार कर्तांक, एक मोबाइल नम्बर तथा एक ई-मेल आईडी, भरने का अवसर प्रदान किया जाएगा। उपरत आवार कर्तांक को आवार पर एवं मोबाइल नम्बर पर आवेदन पत्र भरे जाने हेतु जोटीपी प्राप्त होंगे। अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त आवार कर्तांक, मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी, को किसी भी परिस्थिति में बदले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अतः आवेदक अपना आवार कर्तांक, मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी पूर्ण सतर्कता से रखें।
- पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क के साथ जमा कराये जाने पर आवेदन कर्तांक जमरत होने के पश्चात् आवेदक भरे हुए आवेदन पत्र एवं शुल्क रसीद की प्रति आवश्यक रूप से डाउनलोड कर इसका प्रिन्ट प्राप्त कर ले जिसे दस्तावेज सत्यापन हेतु इलाके जाने पर उत्तमय प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी प्रकार की तकनीकी समस्या होने पर इस हेतु Helpdesk Number +91 7413048222 या E-Mail support@oshiksha.com पर सहायता कार्य किसी भी कार्यालय समय प्रातः 9:30 से सायं 6:00 बजे तक सम्पन्न किया जा सकता है।
- आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑन लाइन आवेदन करें। गलत सुधाना देने/रखने सुधाने पर शीघ्र/विभाग आवेदन निरस्त कर आवेदक पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए सतर्क होगा।
- आवेदक को चाहिए कि आवेदन पत्र को भर्ना करने से पूर्व गहरी भाँति जाँच कर सत्यापन हो ले कि आवेदन पूर्ण एवं सही भरा गया है। अपूर्ण, गलत (डिफेक्ट), पुनर्पूरण आवेदनों एवं आवेदन की दिनांक तक सम्पन्न योग्यता नहीं रखने वाले तथा जिस श्रेणी में आवेदन किया गया है उससे पात्रता नहीं रखने वाले अथवा इस हेतु आवेदक दस्तावेज अपलोड नहीं करने पर आवेदन को किसी भी समय/रतार पर निरस्त कर दिया जाएगा।
- राजस्वार्थ राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की श्रेणी/श्रेणी में आवेदक तथा राजस्वार्थ राज्य से निम्न श्रेणी की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक राजस्वार्थ वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को राजस्वार्थ वर्ग के अन्तर्गत के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करती हुए सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन को किसी भी समय/रतार पर निरस्त करने का शीघ्र/विभाग को अधिकार होगा।
- शीघ्र/विभाग द्वारा अथवा से निर्धारित प्रक्रियानुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन/मार्ग से भरा हुआ आवेदन-पत्र किसी भी समय स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- सम्पन्न अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि उसके द्वारा अप्रेषित पत्र हेतु निर्धारित समस्त शैक्षणिक/आवश्यक/अन्य आवश्यक योग्यताएं मग राजस्वार्थ नर्सिंग काउन्सिल/राजस्वार्थ कार्गेली काउन्सिल (जो लागू हो) द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन कर्तांक ऑनलाइन आवेदन भरने की अनिवार्य शर्त तक अर्जित कर लिया गया है। आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात् अर्जित किसी भी प्रकार की शैक्षणिक/आवश्यक/अन्य आवश्यक योग्यताएं मग रजिस्ट्रेशन तथा अनुभव प्रमाण पत्र आदि पर विचार नहीं किया जाएगा।
- दस्तावेज/फोटो अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश -
- दस्तावेज/फोटो JPG, PNG, PDF, JPEG फॉर्मेट में ही अपलोड किए जा सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट की फाईल 1.5 एम.बी. साईज तक एवं लेन फॉर्मेट की फाईल 200 के.बी. साईज तक अपलोड की जा सकती है।

(अ) फोटोवाक स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
(ब) आवेदक को भवितव्य रंगीन फोटो (अधिकतम 6 माह पुराना) अपलोड करनी चाहिए। मोबाइल एवं अन्य स्थानों से प्राप्त फोटो का उपयोग नहीं करें।

(स) फोटो की पृष्ठभूमि (background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।

(द) फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घेरना चाहिए।

(य) फोटो में आवेदक का चेहरा एवं शिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा कभी ढुंआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का शिर, आँख, नाक और छोटी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।

(ए) यदि आप जरूरत पड़ती है, तो फोटो खिंचाते समय घबरा नहीं सकते हैं लेकिन बारीक नज़र (focus) नहीं होनी चाहिए।

(व) आवेदक की फोटो में काला या गूँसा का नज़र नहीं होना चाहिए।

(ख) फोटो की साईज़ 35 cm X 45 cm होनी चाहिए।

(ह) फोटो का विस्तार न्यूनतम 240 x 320 एवं अधिकतम 480 x 640 (0.3 मेगा पिक्सेल) होना चाहिए।

(घ) प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय फोटो आवेदक से गैल खानी चाहिए अन्यथा आवेदक अयोग्य ठहराया जा सकता है।

• हस्ताक्षर अपलोड करने के दिशानिर्देश :-

(अ) आवेदक एक सफेद कागज पर 7 सेमी चौड़ाई एवं 2 सेमी ऊँचाई के एक आयताकार क्षेत्र के भीतर पहले या पहले नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें।

(क) हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाएगा। किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।

(ग) नीचे में हस्ताक्षर करने के बाद हस्ताक्षर को स्कैन करवाकर आयताकार क्षेत्र तक कैंप करने के बाद अपलोड करें।

(घ) हस्ताक्षर के पिक्सेल न्यूनतम 200 x 80 एवं अधिकतम 500 x 160 होना चाहिए।

(च) प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय हस्ताक्षर आवेदक के हस्ताक्षर से गैल खानी चाहिए अन्यथा आवेदक अयोग्य ठहराया जा सकता है।

(ट) अपलोड किये गये हस्ताक्षर अस्पष्ट होने पर आवेदन अयोग्य ठहराया जा सकता है।

- आवेदक द्वारा पूर्ण भरा हुआ एवं समस्त दस्तावेज़ अपलोड करने तथा निर्धारित शुल्क जमा करवाते हुए ऑनलाइन आवेदन निर्धारित समय सीमा में भरा जाना सुनिश्चित किया जाये। एक आवेदक को एक कैटेगरी में समान पत्र के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र भरने की अनुमति नहीं है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के आवेदकों को अनुसूचित क्षेत्र हेतु निर्धारित पत्रों पर आवेदन पत्र भरने की अनुमति नहीं है।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि संशोधन का अवसर केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को देया होगा जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन की अवधि में आवेदन पूर्णतया भरकर शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदन पत्र कर्मांक प्राप्त किया गया है। त्रुटि संशोधन अवधि में किसी अभ्यर्थी को नया आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी।
- त्रुटि संशोधन अवधि के दौरान ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने हेतु अफिरा भूल शर्तों की सीमा में त्रुटि संशोधन करने की अनुमति दी जायेगी। अनुमति प्रमाण पत्र भूल आवेदन भरे जाने की प्रारम्भ तिथि से ठीक पूर्व निर्धारित तक की अवधि हेतु ही मान्य होगी।
- त्रुटि संशोधन का अवसर दिए जाने के दौरान अभ्यर्थी द्वारा किए गए त्रुटि संशोधन के कारण शुल्क में परिवर्तन होने की स्थिति में पूर्व में जमा कराये गए शुल्क से अधिक राशि होने पर शुल्क की अन्तर राशि अभ्यर्थी द्वारा जमा कराई

	जाती अतिवर्धन होगी। विन्दु कृति संशोधन उपलब्ध पूर्व में जमा कराए गए शुल्क से कम रहित होने पर शुल्क की अन्तर रहित लौटाई नहीं जायेगी।
आवेदन शुल्क	(क) सामान्य वर्ग एवं राजस्थान के ज़ोमीलेयर क्षेत्र के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु राशि ₹ 500.00 (ख) राजस्थान के नॉन ज़ोमीलेयर क्षेत्र के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (FWS) के आवेदक हेतु राशि ₹ 350.00 (ग) राजस्थान विधवा, विधिवान विधवा महिला, विशेष योग्यजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा सभी वर्ग के ऐसे अम्बुधियों, जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख से कम है, के आवेदकों हेतु राशि ₹ 250.00 (घ) राजस्थान के टी.एस.डी क्षेत्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं भारत जिले की राजस्थान रहसिली के सहारेण आदिम जाति के आवेदक हेतु राशि ₹ 250.00
	नोट :- 1. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अम्बुधियों को सामान्य वर्ग का अम्बुधियों माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अम्बुधियों के लिए निर्धारित शुल्क देना होगा। 2. राज्य सरकार द्वारा सभी वर्ग के अम्बुधियों को आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत लिये दिये निर्देश के क्रम में जारी परिवार दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अम्बुधियों, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है, के लिए किसी भी भती/परिष्ठा/चयन में प्रवेश करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अम्बुधियों के समान ही आवेदक शुल्क देना होगा। उक्त परिवार के अनुसार राजस्थान राज्य के जिन अम्बुधियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन के समय परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होने का विकल्प चुना गया है, उन अम्बुधियों को ऑनलाईन आवेदन के साथ राज्य प्रतिकारी द्वारा आवेदन की अंतिम दिनांक तक जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि दस्तावेज सत्यापन के समय अम्बुधियों द्वारा उक्त आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो निर्धारित शुल्क जमा नहीं कराये जाने के कारण पात्रता निरस्त कर दी जायेगी। उक्त लाभ राजस्थान राज्य के अम्बुधियों को ही देय होगा। राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के आवेदकों को सामान्य वर्ग हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा।
घ) अन्य महत्वपूर्ण विन्दु	
1. समस्त अम्बुधियों भर्ती प्रक्रिया से संबंधित नवीनतम सूचनाओं/निर्देशों के लिए नियमित रूप से शीशू की वेबसाइट www.shishuwaasthya.com अथवा भिकित्त एवं स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट www.rajswaasthya.nic.in का निगमित रूप से अवलोकन करते रहें। 2. आवेदक द्वारा Online Application Form में अंकित मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. पर ही आवश्यकता पड़ने पर SMS / E-Mail के माध्यम से भर्ती संबंधी सूचना दी जा सकेगी। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. बदलने/बंद होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचना प्राप्त नहीं होने पर अम्बुधियों की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। अतः आवेदक फार्म में दिये गये मोबाइल नम्बर/ई-मेल आई.डी. के पते में परिवर्तन नहीं करें। 3. आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रमाणपूर्वक करें। आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी सत्यापन प्रक्रिया से आवश्यक हो तो कि सभी प्रविष्टियाँ सही-सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों तथा आवश्यक किए गए दस्तावेजों के आधार पर शीशू द्वारा अंतिम कार्यवाही की जायेगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अयोग्य पाया जाता है तो उक्तका ऑनलाईन आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।	

4. सीधु/विभाग अभ्यर्थियों द्वारा की गई ऑनलाइन प्रविष्टिगो एवं अपलोड किए गए दस्तावेजों का सत्यापन विभाग अभ्यर्थी को पूर्व सूचना दिए किसी भी समय एवं किसी भी स्तर पर करवाने हेतु स्वतंत्र होगा।
5. अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अंतिम दिनांक का पालन करते/करनाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलगलत हुई हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाइन आवेदन-पत्र के Preview में अपनी सगल प्रविष्टिगो में त्रुटियों की जाँच आवश्यक रूप से करने के पश्चात् उनके सुधारों हेतु ही ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर Submit करें और उसका प्रिंट लेकर उसकी जाँच आवश्यक रूप से पुनः कर लेवे। अगर फिर भी कोई गलती/त्रुटि पाई जाती है, तो सीधु द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि संशोधन का अवसर दिए जाने समय विज्ञप्ति में वर्णित निर्देशानुसार इस हेतु निर्धारित की जाने वाली प्रक्रिया अनुसार त्रुटि संशोधन आवश्यक रूप से कर लेवे। इसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन त्रुटि संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं आवेदक का ही होगा। साथ ही आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई-मित्र अथवा अन्य स्रोत से आवेदन करवाता है, तो आवेदक स्वयं ई-मित्र अथवा अन्य स्रोत से सम्पर्क कर स्वयं की देख-रेख में आवेदन करवावे। ई-मित्र अथवा अन्य स्रोत के भरते न छोड़ें कि उनके द्वारा आपका ऑनलाइन आवेदन-पत्र सही-सही भर दिया होगा/जायेगा।
6. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसी अधिकारी को परित्याग मानते हुये आवेदन पत्र में त्रुटि संशोधन की निर्धारित अवधि के पश्चात् उत्पन्न श्रेणी में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यही ध्यान रखना किना जाता है कि त्रुटि संशोधन का अवसर दिये जाने का अभिप्राय मूल ऑनलाइन आवेदन भरते समय अंतिम दिनांक तक आवेदक के पत्र उपलब्ध प्रमाण जाने एवं मूल ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम दिनांक तक आवेदक के पत्र उपलब्ध प्रमाण पत्र/दस्तावेज के स्वयं पर त्रुटिपत्र किसी अन्य दस्तावेज/प्रमाण पत्र के अपलोड करने की स्थिति में मूल ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम दिनांक तक आवेदक को पत्र उपलब्ध प्रमाण पत्र/दस्तावेज को अपलोड करने का अवसर दिये जाने मात्र से है। त्रुटि संशोधन के दौरान किसी भी आवेदक को नया ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने अथवा मूल आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक के पश्चात् जारी किए गए प्रमाण पत्र अथवा योग्यता का अंजन त्रुटि संशोधन के दौरान किसी भी आवेदक की अनुमति नहीं होगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन-पत्र फिर जाने की अनुमति नहीं होगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन-पत्र सीधु/विभाग द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है, जिसकी सगल जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/सहश्रिता/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट शिस्त/भूतपूर्व सैनिक/टी.एस.पी./किसा/विश्विजन विद्या/विशेष योग्यजन आदि अन्य वर्ग के अभ्यर्थी Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कोष्ठ में करें। Online Application Form भरने की अंतिम दिनांक पश्चात्/त्रुटि संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसी अधिकारियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित नहीं हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में जो श्रेणी/वर्ग गरी/भरा है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी एवं अभ्यर्थी/आवेदक द्वारा जिस श्रेणी/वर्ग में ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरा है उस संबंधित वर्ग/श्रेणी से संबंधित प्रमाण-पत्र/दस्तावेज आदि दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक का ऑनलाइन आवेदन-पत्र निरस्त/रद्द/प्राप्ता रद्द कर दी जायेगी।
7. सीधु द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जाँच करते समय तथा मूल प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों से पात्रता की जाँच करते समय यदि आनु, वैश्विक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/सहश्रिता/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट शिस्त/भूतपूर्व सैनिक/टी.एस.पी./किसा/विश्विजन विद्या/विशेष योग्यजन आदि अन्य वर्गों

की पालना नहीं करने के कारण यदि अभ्यासी की अपात्रता का पता चलता है तो इस भाँती हेतु उत्तरदायक आवेदन किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यासी की होगी।

9. विधवा/विधिवन् विवाह वर्ग की आवेदक महिला द्वारा आवेदन की दिनांक के पश्चात् पुनर्विवाह कर दिया जाता है तो भी उसे विधवा/विधिवन् विवाह वर्ग का निष्पन्नानुसार लाभ दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि विधिवन् विवाह आवेदक का उत्तरदायक प्रकरण/पत्र मानवीय न्यायालय में विचारधीन/लम्बित है एवं किसी परिणत नहीं हुई है, तो विधिवन् विवाह श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। साथ ही विधवा/विधिवन् विवाहश्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी एवं विधवा/विधिवन् विवाह श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. आवेदक विज्ञापित पत्र हेतु सभी आवेदन कर पत्र वह इस पत्र हेतु विज्ञापन में निश्चित निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत याचित शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता एवं रजिस्ट्रेशन से संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड/मापदण्ड पूर्ण करता हो। साथ ही इस विज्ञापन में दी गई उक्त याचित शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता एवं रजिस्ट्रेशन के अतिरिक्त अन्य किसी शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता एवं रजिस्ट्रेशन को स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापि में उल्लेखित अनुसार शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता एवं रजिस्ट्रेशन आवेदन की अंतिम दिनांक तक होने पर ही प्राप्त माना जायेगा अन्यथा अपात्र माना जायेगा।
11. आवेदक को इस विज्ञापि में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई गिनतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी।
12. राज्य में कार्यरत नियमित कर्मचारी को देय लाभ तथा आयु सीमा में छूट, आरक्षण इत्यादि केवल राजस्व राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के कर्मचारी या केंद्र सेवा के कर्मचारी सामान्य ही माने जायेंगे, उन्हें उक्त लाभ नहीं दिया जायेगा।

19) प्रमाण पत्रों का सत्यापन

दस्तावेज सत्यापन के लिये आगमिता किए जाने की स्थिति में मूल दस्तावेजों का मिलान सही पाये जाने पर ही आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/शूरापूर्व सैनिक/टी.एस.पी./विधवा/विधिवन् विवाह/विशेष योग्यजन आदि) की पात्रता का लाभ देय होगा। अतः भ्रष्टाचार की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जाये :

1. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 20.01.2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अन्वर्तियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण-पत्र ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। उक्त में कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 7(1)कार्मिक/क-2/7019 दिनांक 17.10.2022 के अनुसार निर्धारित प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा सकेगा। अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए जारी किये गये जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यंत होगी जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संबंधित प्रमाण पत्र को क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य को तीन वर्ष के विधि समाप्त शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमीलेयर में नहीं होने पर प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उत्तरी सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाये। ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है।
2. आवेदक सुनिश्चित करें कि अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियाँ सही-सही एवं पूर्ण गयी हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग

की विवरित/अविवरित गतिता आवेदक को आवश्यक प्रमाण का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम निवास स्थान व आय के आधार पर राशन प्रधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे रस का लाभ देय नहीं होगा। यदि के नाम निवास स्थान व आय के आधार पर जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

- राजस्थान राज्य के अन्य विभिन्न वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form में सामान्य वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
- अनुरोधित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र राजस्थान राज्य के मुख्य प्रधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पिता के नाम से जारी किया हुआ होगा चाहिए। टी.एस.पी. क्षेत्र का प्रमाण-पत्र कार्मिक विभाग की अभिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार जारी किया हुआ होगा चाहिए।
- अनुरोधित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवरित/अविवरित महिला आवेदक को आवश्यक प्रमाण का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर राजस्थान राज्य के मुख्य प्रधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे रस का लाभ देय नहीं होगा। यदि के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को नियमानुसार राशन प्रधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी Income & Assets Certificate प्रस्तुत करना होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को जारी किये जाने वाले Income & Assets Certificate की वैधता के सम्बन्ध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.11()/आ.क.प. /डीडीसीसी/साप्ता.अभि./19/28048 दिनांक 06.05.2022 के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि राज्य के लिए जारी Income & Assets Certificate एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार उक्त Income & Assets Certificate जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित रसिदों सहित प्रमाण-पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Assets Certificate को ही मान लिया जायेगा, ऐसा अधिकतम 3 वर्षों के लिए किया जा सकता है।
- आवेदन की अंतिम दिनांक एक समस्त वार्षिक/व्यवसायिक योग्यता/रजिस्ट्रेशन तथा सम्पत्ति प्रमाण पत्र/दस्तावेज आदि नियमानुसार जारी होगा आवश्यक है। विधवा स्त्री में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास दिनांक 22.5.2008 के पश्चात दिया होने की स्थिति में विवाह रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा दिनांक 22.5.2008 से पूर्व विवाह होने की स्थिति में विवाह रजिस्ट्रेशन या अन्य इसके अन्तर्गत में इस संकल्प में राज्य पत्र संहिता भूतक पति के नाम से रिक. दस्त. हेतु समस्त अधिकारी द्वारा जारी, कोई एक प्रमाण पत्र (विवाह-विवाह रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, जमानत कार्ड, आधार कार्ड जिसमें पति का नाम उल्लेखित हो) एवं पति का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विभिन्न विवाहभेदी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास गणनीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक सम्बन्धी किसी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक तक होना आवश्यक है। अनुसूचित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पर जाने की प्रारम्भ तिथि से तीन पूर्व दिनांक तक की अनुसूचित अवधि की गणना किए जाने की स्थिति में ही मान्य होगा।
- भूतपूर्व रीति के संकेत में प्राक्कान - कार्मिक (क-2) विभाग की अभिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पहचान अंतिम करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उत्तम सहाय प्रधिकारी से निराशेष प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पर के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण के पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्रधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व रीति निराशेष प्रमाण पत्र (N.O.C) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व गणित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्रधिकारी पदग्रहण कालावधि को विधिले कर सकेगा और उसे उत्तरी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।

कार्यक (क 4/2) विभाग के पत्र दिनांक 18.07.2021 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के परम्परा सीमानिर्धारित के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिए 01 वर्ष की अवधि की गणना आवेदन पत्र की अंतिम तिथि से की जायेगी। साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने आरक्षण का लाभ लेने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा ग्रहण कर ली है तो राजस्थान सरकार के अधीन नियुक्त होने के प्रयोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्राप्ति रणनीति को ध्यान में रखा जायेगा। राजस्थान सरकार के अधीन नियुक्त होने करने के उद्देश्य किसी व्यक्ति को एक सिविल कर्मचारी माना जायेगा।

9. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.स (19) मृ-13/2006 दिनांक 22.06.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। ऐसे अभ्यर्थी द्वारा यदि विवाह पंजीयन नहीं कराया गया है तो वे इस नियुक्ति के पात्र नहीं माने जायेंगे। उक्त परिपत्र जारी होने की तिथि से पूर्व विवाहित अभ्यर्थी जिन्होंने विवाह पंजीयन नहीं कराया है, उनके द्वारा इस आरक्षण पर राज्य पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे/संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चों/संतानों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए अब तक निर्धारित नहीं सम्झा जायेगा, जब तक कि 1 जुन, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों/संतानों की संख्या में बड़ोपारी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पुरस्तर प्रत्येक से केवल एक बच्चा/संतान है, किन्तु किसी एक परम्परागत प्रसंग से एक से अधिक बड़ोपारी बच्चों/संतानों पैदा होती है, वही बच्चों/संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई सम्झा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पुरस्तर प्रत्येक से पैदा हुई हो और निरक्षर हो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उपनिषद के अधीन नियुक्ति के लिए निर्धारित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसंग द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। बच्चों के सम्बन्ध में आवेदक को सम्बन्धित प्रमाण पत्र/समक-पत्र ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड करना अनिवार्य होगा।
11. आवेदक को विज्ञापन में उल्लेखानुसार आवश्यक बतौरित समस्त मूल दस्तावेज/प्रमाण पत्र दौख/विभाग द्वारा माँगे जाने पर सदा समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. आवेदक को सदा उपरान्त आभरण सम्बन्धी पुलिस सदापन प्रमाण-पत्र तथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के विरुद्ध ऐसी किसी आपराधिक कार का उल्लेख नहीं होगा चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/सम्बन्ध उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषित होने या प्रकरण/कार न्यायिक रूप से विचारधीन होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा।
13. आवेदक को सदा उपरान्त सदा प्राधिकारी द्वारा जारी निविदा जीव सम्बन्धी विविध प्रमाण-पत्र तथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि आवेदक पूर्णरूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।
14. आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा का/जो के-टी/राज्य/सरकारी उपक्रमों में नियमित रूप से नियुक्त है एवं उनका सदा उक्त पदों हेतु भर्ती में हो गया है, उन्हें अपने निवेदन से अनापत्ति प्रमाण-पत्र सदा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

अ) अनुभव के आधार पर घौनल अंक

1. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक अराजक्रि/भर्ती प्रक्रिया/एच-012/2022/1135 दिनांक 15.11.2022 के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों को विज्ञापित पद के समरूप कार्य करने की सेवा अर्थात् अभ्यर्थित घौनल अंक नियमानुसार देय होंगे।
2. कार्यक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.05.2022 एवं माननीय ग्यासलय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों की पालना में उक्त पदों के लिए राजस्थान सरकार के विविध संस्थाओं, विविध एवं

स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन राजस्थान में संचालित योजनाओं में विज्ञापित पद की सम्मान कार्य करने वाले सविदा/प्रविष्टता अनुभव/अर्थात् आधार/गृहीती पर एम्ब्यारएस/एलसमेट एजेंसी/एनजीओ/108/पीपीपी मॉड के माध्यम से कार्यरत सविदा कार्यकर्ता को की गई सेवा अन्धे की आधार पर उपरोक्तानुसार अनुभव आधारित कोनस अंक देय होंगे। फार्मलिट के पदों पर राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग के अधीन सहकारिता उपभोक्ता होलरोल भण्डार, सहकारिता उपभोक्ता भण्डार एवं अन्य सहकारी संस्थानों में कार्य करने वाले सविदा फार्मलिट को भी अनुभव आधारित कोनस अंक देय होंगे।

3. अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत/सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में विज्ञापित जारी होने की तिथि से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

4. अनुभव अंतिम की गणना ऑनलाइन आवेदन आवेदन होने की तिथि से ठीक पूर्व की दिनांक तक की अवधि तक ही की जाएगी।

5. आवेदक द्वारा फुलक-गूडक अनुभव अंतिम अंक ऑनलाइन आवेदन पत्र में फुलक-गूडक किया जाकर प्रत्येक अवधि का निर्धारित अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।

6. उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 में उल्लेखित संस्थानों को छोड़कर निजी क्षेत्र में संचालित चिकित्सालयों, अन्य विभागों, अन्य राज्यों, अन्य संस्थानों एवं अन्य योजनाओं में कार्यरत कार्यकर्ता को अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जायेंगे तथा इन्हें अनुभव आधारित कोनस अंक का लाभ देय नहीं है।

7. ऑनलाइन आवेदन के समय पात्र आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा इस हेतु निर्धारित प्रपत्र अनुसार जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्र को अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। किसी भी प्रकार का किसी भी समय ऑनलाइन कोई अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

8. अनुभव प्रमाण पत्र जो अर्थात् द्वारा अपलोड किया जाएगा उसके संदर्भ में यह गणना जायेगा कि अर्थात् अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुभव प्रमाण पत्र से पूर्णतः संपूर्ण है एवं इसी आधार पर सत्यापन उपरान्त अनुभव अंतिम देय कोनस अंक निर्धारण किया जाएगा।

9. ऑनलाइन आवेदन में अनुभव के संदर्भ में निर्धारित सभी कॉलम में आवश्यक प्रविष्टियां की जानी आवश्यक है। यदि ऑनलाइन आवेदन में अनुभव के किसी कॉलम में आवश्यक प्रविष्टियां नहीं की गई है, तो ऐसे अर्थात् को अनुभव का लाभ नहीं दिया जायेगा जिसके लिये अर्थात् स्वयं उत्तरवादी होगा।

10. अर्थात् द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र को विभाग द्वारा जारीकर्ता अधिकृत अधिकारी से सत्यापन कराये जाने के पश्चात् ही कोनस अंक का लाभ नियमानुसार दिया जायेगा एवं विभाग द्वारा भेजे जाने पर मूल अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

11. राजस्थान सरकार के अधीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में पात्र सविदा पर कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर एवं फार्मलिट को निदेशालय के पत्र क्रमांक 1137 दिनांक 16.11.2022 द्वारा जारी दिशा-निदेशानुसार एवं पत्र के राज्य संलग्न निर्धारित परिशिष्ट-अ में प्रधानाचार्य एवं निदेशक राजकीय मेडिकल कॉलेज, प्रधानाचार्य जालपाठ होस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज सोसायटी, राजकीय डेंटल कॉलेज, निदेशक- जल स्वास्थ्य/आर.सी. एम/भोलाईल सर्जिकल यूनिट/आई.ई.सी./एड्स, अधिकांश संलग्न चिकित्सालय रागू, परिमोजना निदेशक- एनएचएम/एड्स, निदेशक- अलसारी, निदेशक- AHSV, राज्य दाय लेग नियंत्रण अधिकारी, राज्य के समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रागरत प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, रागरत जिला प्रजनन एवं शिक्षा स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य सांख्यिक निदेशक, उप निदेशक औषधि प्रीक्षण प्रयोगशाला तथा सहकारिता विभाग में कार्यरत पात्र सविदा फार्मलिट के लिए प्रत्येक संसालक राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड द्वारा अपने पत्र क्रमांक उपरान्त 6(4)प्रता/सविदा/फार्मलिट/2012/III/8430, दिनांक 09.11.2022 द्वारा संबंधित जिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार हेतु अन्व-विषय सहकारी समिति को महाप्रमुख/मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं चोईनकी के लिए प्रत्येक मेडिकल एवं सत्यापन कर्ता अधिकारी की अग्नित कुमार, महाप्रमुख राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कोनसीड) को निर्धारित प्रपत्र में अनुभव प्रमाण पत्र जारी

ओडी

उत्तरने हेतु अधिकृत किया गया है।

अ) चयन के लिये अयोग्यता

1. आवेदक के लिये राजस्वशासक विधिवत् एवं स्थापित अधीनस्थ सेवा नियम 1905 में सम्मिलित समस्त अन्य योग्यताएँ पूर्ण करना अनिवार्य है। यह आवेदित पद के लिये इन नियमों के समस्त नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं होना चाहिए।

2. कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियाँ है सेवा में नियुक्ति के लिये तब तक पात्र नहीं होगा जब तक की सरकार इस बात का समाधान करने के परवाह कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है, के आधार पर इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट न दे दे, अन्यथा इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट देय नहीं होगी।

3. कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसके पहले से ही कोई पत्नी है, सेवा में नियुक्ति के लिये तब तक पात्र नहीं होगी जब तक की सरकार इस बात का समाधान करने के लिये कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है, के आधार पर इस नियम के प्रवर्तन से इस महिला अभ्यर्थी को छूट न दे दे। अन्यथा इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट देय नहीं होगी।

4. कार्मिक विभाग द्वारा राजकीय सेवा में चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन/आवरण/पुलिस सत्यापन के संदर्भ में जारी परिपत्र संख्या 1(1)कार्मिक/क-2/2016 दिनांक 16.07.2016 में उल्लेखितानुसार भी अयोग्य माना जायेगा।

निलेश मोट :-

1. अभ्यर्थी के दफ्तर के कुल सञ्चालन की गिनती करते समय दिव्यांग बाल-बच्चों के संदर्भ में कार्मिक विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एक 7 (1) टीओपी/ए-11/95/पार्ट 2 दिनांक 24.02.2011 के प्रावधान लागू होंगे।

2. किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा, यदि उसने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया हो।

क) सामान्य निर्देश

1. यदि अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता पुरक परीक्षा के माध्यम से उत्तीर्ण की गई है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के पुरक परीक्षा के प्राप्तांकों को जोड़कर ही परीक्षा सुन्नी में सम्मिलित किया जायेगा।

2. विशेष योग्यता अभ्यर्थियों को इस भर्ती हेतु विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की राय/प्रमाण पत्र के आधार पर ही पात्रता का निर्धारण/आयोजन का लाभ देय होगा। जिसके लिये अभ्यर्थी को विभाग द्वारा आमंत्रित किये जाने पर गठित किए गए मेडिकल बोर्ड के समस्त निर्धारित दिनांक व समय पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

3. ऑनलाईन आवेदन अंग्रेजी भाषा में ही भरा जाये।

4. दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का खर्चा/भरत देय नहीं होगा।

5. अभ्यर्थी रीक्रेण्डरी की अंकतालिका अथवा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, जिसमें जागरूकता का स्पष्ट उल्लेख हो, को अपलोड करे। सीनियर रीक्रेण्डरी की अंक तालिका को दोनो साइड से अपलोड करे।

6. सिंगल पेरेंटल अभ्यर्थी माता अथवा पिता के नाम के कोलम में NA शब्द का प्रयोग कर सकते हैं।

7. यदि किसी आवेदक ने ऑनलाईन आवेदन में भरत/तुटिपूर्ण सूचना अथवा अपूर्ण सूचना भरी है, तो अभ्यर्थी का आवेदन/चयन निरस्त करते हुए आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु विभाग

स्वतंत्र होगा।

उ) आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना/अपूर्ण आवेदन-पत्र नहीं करने के सम्बन्ध में विशेष निर्देश

1. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं भर्ती से संबंधित अन्य विन्दु पंजीयन संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा निदेशों का अध्ययन आवश्यक रूप से करते हुए आवेदन हेतु अभिलेखित दिनांक की प्रतीक्षा नहीं करते हुए आवेदन-पत्र भरना सुनिश्चित करें। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की जाने वाली सूचना एवं अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों तथा शुल्क राशि के लिए आवेदक पूर्णरूप से स्वयं उत्तरदायी होगा।

2. त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन पत्र में सुधार हेतु प्रदान की जाने वाली त्रुटि संशोधन अवधि के पश्चात इस हेतु सकारित/ऑफलाइन प्रार्थना-पत्र/ऑनलाइन प्रार्थना-पत्र/पत्र-व्यवहार इत्यादि स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. गलत सूचना/तथ्य/दस्तावेज अपलोड करने पर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

4. त्रुटि संशोधन का अवसर दिये जाने के पश्चात भी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अपूर्ण सूचना अंकित की गई है, तो अभ्यर्थी का भ्रम निरस्त करने का अधिकार सीधु/विभाग को होगा व इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

विशेष नोट :-

यहाँ यह ध्यान रखनीय है कि सीधु द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु समस्त स्थिति उक्तानुसार संपन्न की जा चुकी है अगर फिर भी आवेदक/ई-मेल/अन्य स्रोत द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/त्रुटि/लोप/अपूर्ण सूचना रह जाती है एवं उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि संशोधन हेतु अपसर दिये जाने के उपरान्त भी आवश्यक तथित त्रुटि संशोधन नहीं किया जाता है या अभ्यर्थी विज्ञापन के अनुसार पत्राचार नहीं रखता है, इत्यादि के कारण आवेदक का ऑनलाइन आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जाता है, तो इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

इस संघ में आपसगतता पकड़ने पर संस्थान के दूरभाष 0141-2976801 पर सार्वजनिक कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान अथवा व्यक्तिगत रूप से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।



निदेशक

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान,
जयपुर